

2017 का विधेयक संख्यांक 157

[दि एप्रोप्रिएशन (नंबर 4) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-18 की सेवाओं के लिए भारत की संचित
निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और
विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2017 है ।
2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से
5 अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक खरब, ब्यारह अरब, छियासठ करोड़, अठारह
लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में
विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संदाय किए जाने होंगे, संदत्त
और उपयोजित की जा सकेंगी ।
3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए
10 जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और
प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

संक्षिप्त नाम ।

वित्तीय वर्ष 2017-18
के लिए भारत की
संचित निधि में
से 1,11,66,18,00,000
रुपए का निकाला
जाना ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3		
		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		₹	₹	₹
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व 5,00,000 पूंजी 12,85,00,000	...	5,00,000 12,85,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	राजस्व 4,00,000 पूंजी 1,00,000	...	4,00,000 1,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
6	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	राजस्व 1,00,000 पूंजी 3,60,26,00,000	...	1,00,000 3,60,26,00,000
7	उर्वरक विभाग	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व 2,00,000	...	2,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व 40,00,00,000 पूंजी 1,39,00,000	...	40,00,00,000 1,39,00,000
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व 20,00,00,00,000	...	20,00,00,00,000
15	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व 5,00,00,00,000	...	5,00,00,00,000
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व 52,11,00,000	...	52,11,00,000
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व 40,01,00,000	...	40,01,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व 3,00,000 पूंजी 1,00,000	...	3,00,000 1,00,000
19	रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण)	राजस्व 36,82,00,000	...	36,82,00,000
20	रक्षा सेवाएं - (राजस्व)	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	पूंजी ...	80,00,00,000	80,00,00,000
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व 3,00,000	...	3,00,000
26	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 1,00,00,00,000	...	1,00,00,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व 3,00,000 पूंजी ...	67,00,000	3,00,000 67,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व 98,46,00,000 पूंजी 1,00,000	...	98,46,00,000 1,00,000
30	व्यय विभाग	पूंजी 2,00,00,000	...	2,00,00,000
33	राजस्व विभाग	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000

1	2	3	₹	₹	₹
34	प्रत्यक्ष कर	पूँजी	2,00,000	...	2,00,000
35	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	3,86,43,00,000	...	3,86,43,00,000
		पूँजी	1,63,57,00,000	...	1,63,57,00,000
	भारित--ब्याज अदायगियां	राजस्व	...	1,00,000	1,00,000
40	राज्यों को अंतरण	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	पूँजी	1,32,91,00,000	...	1,32,91,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
47	मंत्रिमंडल	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
48	पुलिस	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
49	अंदमान और निकोबार द्वीप	पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
51	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	8,40,00,000	...	8,40,00,000
52	दमण और दीव	पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
55	पुडुचेरी को अन्तरण	राजस्व	17,70,00,000	...	17,70,00,000
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	4,00,000	...	4,00,000
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	3,00,000	...	3,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	पूँजी	19,00,00,000	...	19,00,00,000
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
66	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	...	3,00,000
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	5,00,000	...	5,00,000
		पूँजी	8,00,000	...	8,00,000
	भारित--केंद्रीय सतर्कता आयोग	राजस्व	...	1,00,000	1,00,000
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	70,00,00,00,000	...	70,00,00,00,000
73	योजना मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
77	राज्य सभा	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
80	रेल मंत्रालय	पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
82	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	6,00,000	...	6,00,000
84	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
85	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
87	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
90	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
91	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
92	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000

1	2		3		
			₹	₹	₹
94	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	4,00,000	...	4,00,000
		पूँजी	12,00,00,000	...	12,00,00,000
95	पर्यटन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
96	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	3,14,00,000	1,00,000	3,15,00,000
97	शहरी विकास मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	4,00,00,000	4,03,00,000
98	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	राजस्व	93,42,00,000	...	93,42,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
99	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	4,00,000	...	4,00,000
100	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
	योग :		1,10,69,48,00,000	96,70,00,000	1,11,66,18,00,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत की संचित निधि पर भारत अनुपूरक व्यय और केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा दिए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है, पुनःस्थापित किया जा रहा है।

अरुण जेटली